संख्या-47/2018/क0नि0-4-1050/11-2018-300(38)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर ,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 19 सितम्बर, 2018**

विषयः- वाणिज्य कर कार्यालय भवन, चेतगंज, वाराणसी में पेंटिंग /मरम्मत का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-वाराणसी-169(iii)/कार्या0भ0अनु0//2018-19/497/ वाणिज्य कर, दिनांक 30.08.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-10.00 करोड़ में से वाणिज्य कर कार्यालय भवन, चेतगंज, वाराणसी में पेंटिंग/मरम्मत का कार्य कराए जाने हेतु धनराशि रू0-37.77 लाख (रुपया सैंतीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखंड-वाराणसी को किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव

संख्या-47/2018/क0नि0-4-1050(i)/11-2018, तद्दिनाँक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहबाद।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
4- एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखंड-वाराणसी।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।